

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक(सदस्य सचिव)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार- नई दिल्ली

पत्रांक: स०पुर/एन०ओ०सी०/

/2012-2013 दिनांक ३०.७.२०१२


विषय: श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, लालवाला रोड़, देवबन्द, सहारनपुर को सी०बी०एस०ई०
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-(299)/2007
शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14.07.2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति को श्री गुरु राम
राय पब्लिक स्कूल, लालवाला रोड़, देवबन्द, सहारनपुर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

- 1-- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2-- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक रादस्य होगा।
- 3-- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्डिंग शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4-- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने की दशा में पूर्व से अन्य परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5-- संस्था को उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6-- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 7-- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8-- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 9-- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

02


Manager
Shri Guru Ram Rai Public School
Deoband (Saharanpur)


Principal
Shri Guru Ram Rai Public School
Deoband (Saharanpur)


Principal
Shri Guru Ram Rai Public School
Deoband (Saharanpur)

(2)

- 10— विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु उक्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- 11— उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(योगेन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। /

सदस्य सचिव, मण्डलीय सामाजि

/ 2012-2013 तदिनांक।

पृ०स०: स०पुर/एन०ओ०सी०/ २६२४-३६

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
2— आयुक्त (अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
3— जिलाधिकारी(सदस्य, मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
4— शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।
5— जिला विधालय निरीक्षक (सदस्य मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
6— प्रबन्धक, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, लालवाला रोड, देवबन्द, सहारनपुर।
7— निरीक्षक, आंगं भारतीय विधालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8— सम्बन्धित पत्रावली पर।

(योगेन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। /

सदस्य सचिव, मण्डलीय सामाजि

L.S. Singh
Manager
Shri Guru Ram Rai Public School
Deoband (Saharanpur)

V.H.
Principal
Shri Guru Ram Rai Public School
Deoband (Saharanpur)

Q.N.
Principal
Shri Guru Ram Rai Public School
Deoband (Saharanpur)